

रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद,
किरसाली चौक, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, पिन- 248013
फोन- 0135-2608910 ई-मेल-registraruvc@gmail.com



आवश्यक सूचना :-

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद में वैध रूप से पंजीकृत समस्त पशुचिकित्साविदों को परिषद के गठन के लिये अनन्तिम निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सूचित किया जाता है कि:-

- 1- उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद में आगामी माह में सदस्यों हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिस हेतु अनन्तिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद की वेबसाइट (<https://ukvc.in>) पर Public Notice में एवं पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाइट (www.ahd.uk.gov.in) पर कर दिया गया है। अतः वैध रूप से पंजीकृत समस्त पशुचिकित्साविदों को सूचित किया जाता है कि वे अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, पंजीकरण संख्या, दूरभाष संख्या तथा ई-मेल आईडी आदि को भली-भाँति जाँच कर लें। यदि उनकी किसी भी प्रविष्टि में त्रुटि हो, तो उसे लिखित रूप से (साक्ष्यों सहित) इस कार्यालय को विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर उपलब्ध करा दे।
- 2- यदि किसी भी वैध रूप से पंजीकृत पशुचिकित्साविद् का नाम अनन्तिम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूट गया हो, तो वे प्रपत्र-एक में आवेदन कर सकते हैं तथा किसी भी पशुचिकित्साविद् को किसी के नाम के सम्मिलित/असम्मिलित के संबंध में कोई भी आपत्ति हो, तो प्रपत्र-दो में अपनी आपत्ति दर्ज कर रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद को 30 दिन के भीतर उपलब्ध करा सकते हैं। प्रपत्र-एक व प्रपत्र-दो उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्तियों के निस्तारण का अंतिम निर्णय रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद का होगा।
- 3- उपर्युक्त के अतिरिक्त, परिषद में वैध रूप से पंजीकृत पशुचिकित्सकों में से कुल 03 पशुचिकित्सकों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाना है। समस्त वैध रूप से पंजीकृत पशुचिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदस्य के रूप में नामित होने हेतु अपना आवेदन इस कार्यालय को 30 दिन के भीतर प्राप्त करवा सकते हैं। आवेदन हेतु प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रजिस्ट्रार
उ०रा०प०चि० परिषद

प्रपत्र-एक

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिये दावा
(नियम 6 और 7 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्,

देहरादून।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52, सन् 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन के लिये नामावली में नाम सम्मिलित करने का अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् नियमावली, 2002 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता/करती हूँ। सुसंगत ब्योरे नीचे दिये गये हैं—

नाम (बड़े अक्षरों में) _____

पता _____

शैक्षिक अर्हतायें _____

पदनाम और कार्यालय का पता, यदि कोई हो _____

दावा के लिये आधार (सबूत सहित, यदि कोई हो) _____

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का/की नागरिक हूँ/_____राज्य में निवास करता/करती हूँ और उत्तराखण्ड में पशुचिकित्सा औषधि का व्यवसाय करता/करती/नियोजित हूँ।

स्थान _____

दिनांक _____

(दावेदार के हस्ताक्षर)

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति
(नियम 6 और 7 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्,

देहरादून।

महोदय,

मैं एतद्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन्, 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्तावित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में निम्नलिखित प्रविष्टि पर अपनी आपत्ति उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् नियमावली, 2002 के नियम 6 और नियम 7 के अधीन प्रस्तुत करता/करती हूँ—

1. उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है (बड़े अक्षरों में) _____
2. उस प्रविष्टि की विशिष्टियां जिस पर आपत्ति की गई है _____
3. प्रविष्टि पर आपत्ति के आधार _____

स्थान _____

दिनांक _____

(आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर)

आपत्तिकर्ता की क्रम संख्या और उसका नाम जैसा कि
निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है _____

आपत्तिकर्ता का नाम _____

स्थान _____

पता _____

(प्रतिहस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की क्रम संख्या और नाम
जैसा कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है _____

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता _____

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद मे शासन स्तर से सदस्य नामित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (केवल उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद मे वैध पंजीकृत पशुचिकित्साविदों हेतु)

1. पशुचिकित्साविद का नाम -
2. शैक्षिक योग्यता -
3. उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद मे पंजीकरण संख्या व दिनांक-
4. पंजीकरण वैधता तिथि-
5. मोबाइल नम्बर-
6. पशुचिकित्साविद का पता-

7. क्या आप राज्य पशुचिकित्सा सेवा से जुड़े हैं यदि हाँ, तो पशुपालन विभाग में योगदान की तिथि एवं वर्तमान धारित पद एवं उसका विवरण -

8. यदि आप राजकीय सेवा से सम्बन्धित नहीं है तो वर्तमान व्यवसाय का विवरण -

9. आपके द्वारा पशुपालन विभाग में सेवा के दौरान किया गया कोई विशिष्ट कार्य एवं उसका विवरण -

10. आपके द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में किया गया विशिष्ट कार्य एवं उसका विवरण -

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गयी उक्त सूचनायें मेरे ज्ञान एवं विवेक के अनुसार सत्य एवं सही है, तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद मे शासन द्वारा सदस्य नामित होने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर-

नाम-

पता-